न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/886

1. अजय पुत्र स्व0 श्री सांवरमल सैनी जाति माली निवासी सागर की ढाणी मन्डूला तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र सागरमल (फौत)
   1/1. सीताराम पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/2. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/3. सुरेश पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/4. प्रभूराम पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/5. सुभाष पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/6. शंकर पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/7. रामवतार पुत्र रामेश्वर लाल,
   1/8. सुनील पुत्र रामेश्वर लाल,
   समस्त जाति माली निवासी बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
   1/9. किरण पुत्री रामेश्वर लाल पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी रामगढ़ शेखावाटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
   1/10. शारदा पुत्री रामेश्वर लाल पत्नी किशनलाल जाति माली निवासी रामगढ़ शेखावाटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2. भंवरलाल पुत्र सागरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
3. विनोद कुमार पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
4. महेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
5. नन्दलाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
6. जुगलकिशोर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
7. सरला पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
8. संजय पुत्र सांवरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
9. केसर देवी पत्नी सांवरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
10. विजय लक्ष्मी पुत्री सांवरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
11. सीमा पुत्री सांवरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
12. किरण देवी पत्नी दिनेश कुमार जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
13. नवदीप पुत्र दिनेश कुमार जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

14. पवन कुमार पुत्र दिनेश कुमार जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
15. पुष्पा देवी पत्नी बनारसी जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
16. बिलास पुत्र सागरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
17. मदनलाल पुत्र सागर जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
18. मंजू पुत्री बनारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
19. मुरारीलाल पुत्र बनारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
20. राधेश्याम पुत्र बनारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
21. सत्यनारायण पुत्र बनारसीलाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं। **(नाम हजफ)**
22. श्रवण कुमार पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
23. संतोष पुत्र सागरमल जाति माली निवासी ग्राम बागपुरा तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं।
24. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील चिडावा जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 20.09.2022 मुकदमा नम्बर पुराने 42/2016 व नये 116/2022 उनवान रामेश्वर लाल बनाम भंवरलाल में रास्ता बाबत् आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री गोपाल लाल बाना, वकील अपीलान्ट।
2. श्री विजय सिंह राठौड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/7 व 1/8 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/6 व 1/9, 1/10 एवं 2 लगायत 23 की ओर से कोई उपस्थित नही।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 24 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 28.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.09.2022 के खिलाफ दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार चिड़ावा द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट, जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में ग्राम बागपुरा, पटवार मण्डल मण्ड्रेला, भू0अ0नि0 क्षेत्र मण्ड्रेला, तहसील चिडावा के भूमि खसरा नम्बर 506, 512, 513, 514 की भूमि में से खसरा संख्या 506/2, रकबा 0.01 है0, 506/1 रकबा 0.13 है0, 514/2

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 0.07 है0, 514/1 रकबा 3.81 है0, 514/3 रकबा 0.90 है0, 513/2 रकबा 0.03 है0, 513/1 रकबा 0.05 है0, 513/3 रकबा 0.26 है0, 512/2 रकबा 0.05 है0, 512/1 रकबा 0.88 है0, 512/3 रकबा 0.58 है0 में चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 में दिनांकित 30.09.2016 को प्रचलित रास्ता हेतु प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर उपखण्ड अधिकारी चिडावा को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा राजस्थान सरकार के उक्त आदेशों की पालना में ग्राम बागपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 है0, ख.नं. 512 रकबा 1.51 है0, ख.नं. 513 रकबा 0.34 है0, ख.नं. 514 रकबा 4.78 है0 में तहसीलदार चिडावा से प्राप्त प्रस्तावानुसार संलग्न नजरी नक्शे एवं प्रपत्र में वर्णित खसरा व रकबा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है, चालू रास्ता जो नक्शे में दर्शाया गया है, उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 506/2 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 514/2 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 513/2 रकबा 0.03 है0 व खसरा नम्बर 512/2 रकबा 0.05 है0 रकबे को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में अंकित किया गया है। उक्त प्रस्तावानुसार रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 से व्यथित होकर हाल अपीलान्ट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां अपील संख्या 204/17 बउनवानी अजय व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा पेश की गयी, जिस पर न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा हाल अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चिडावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/8 के पिता रामेश्वर ने उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् सुनवाई किये जाने मुकदमा नम्बर 42/2016 बउनवानी सरकार विलास वगै0 का पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न पत्रावली उनवानी सरकार बनाम विलाम वगै० मुकदमा नं0 42/2016 का निर्णय दिनांक 11.02.2016 किया गया था, जिसमें सहवन से निर्णय दिनांक 11.02.2016 अंकित की गई थी, जो गलत दर्ज हो गयी है। जो राजस्थान सरकार के नियम दिनांक 10.08.2016 से पूर्व की दर्ज हो गई थी, किन्तु सही आदेश दिनांक 02.11.2016 दर्ज होनी चाहिये थी। लेकिन उक्त प्रकरण में आदेश दिये गये कि मुकदमा नं0 42/2016 उनवानी सरकार बनाम विलाम वगै० में निर्णय दिनांक 11.02.2016 के स्थान पर दिनांक 02.11.2016 दुरूस्त की जाकर लाल स्याही से पत्रावली में निर्णय की दिनांक में संशोधन किया जाता है, और पूर्व में न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक की गलती से नामान्तरकरण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने पर राजस्व ग्राम बागपुरा पटवार मण्डल मण्ड्रेला में स्थित भूमि खसरा नं0 506/2, रकबा 0.01 हैक्टयेर, 514/2, रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513/2, रकबा 0.03 हैक्टयेर, खसरा नं. 512/2, रकबा 0.05 हैक्टयेर गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव में अंकित किया

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया गया कि उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल–दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2022 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 20.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट अजय पुत्र स्व0 श्री सांवरमल सैनी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं दिनांक 20.09.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में एक निर्देश इस आशय का जारी किया गया कि जहां सार्वजनिक रास्ता जो राजकीय भूमि है/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं है स्थायी सार्वजनिक रास्ते का भी उल्लेख उक्त परिपत्र में किया गया है, जिसमें बताया गया कि रास्ते वे सार्वजनिक रास्ते होगें जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है ऐसे सार्वजनिक रास्तों का राजस्व लेख अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–लेख अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–लेख अधिनियम 1957 के नियम 58, 59 60, 66 व 86 के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते है। क्योंकि यह कोई सार्वजनिक भूमि नहीं है व रेग्युलर दावा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 02.04.2013 को वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल डिग्री हो गया है और उसके संलग्न नक्शे के अनुरूप फाईनल डिग्री भी पारित की जा चुकी है जो राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 15929/2019 उनवानी बजरंगलाल बनाम सांवरमल के द्वारा अन्तिम रूप से डिक्री की जा चुकी है। उक्त परिपत्र के निर्देशानुसार तहसीलदार चिडावा ने ग्राम–बागपुरा की भूमि खसरा नंबर 506, 512, 513, 514, की भूमि में खसरा संख्या 506/2, रकबा 0.01 है0, 506/1 रकबा 0.13 है0, 514/2 रकबा 0.07 है0, 514/1 रकबा 3.81 है0, 514/3 रकबा 0.90 है0, 513/2 रकबा 0.03 है0, 513/1 रकबा 0.05 है0, 513/3 रकबा 0.26 है0, 512/2 रकबा 0.05 है0, 512/1 रकबा 0.88 है0, 512/3 रकबा 0.58 है0, राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांकित 30.09.2016 को प्रचलित रास्ता हेतु प्रस्ताव के साथ मय नक्शा तैयार कर उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां पत्रावली संख्या 42/2016 में प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार दिनांक 02.11.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्तानुसार खसरा नंबर 506/2, रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 514/2, रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 513/2, रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा नंबर 512/2 रकबा 0.05 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव में अकित किया जाकर उक्त प्रस्ताव अनुसार रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार चिड़ावा को दिये गये और इस बाबत् तहरीर जारी की गई जिस पर रास्ता दर्ज किया गया जो कि पूर्णतः गैर कानूनी था व लोक अदालत में यह तथ्य छिपाया गया था कि रेग्युलर वाद डिक्री हो चुका है और उसकी फाईनल डिक्री भी पारित हो चुकी है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

सम्भागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहाँ अपील संख्या 204/07 अजय, संजय एवं मदन पुत्रगण सॉवरमल सैनी निवासी सागर की ढाणी तन मण्ड्रेला ने उक्त आदेश के विरूद्ध असन्तुष्ट होकर इस आशय की पेश की न्यायालय द्वारा गलती से दर्ज हुई 11.02.2016 के स्थान बाबत् निर्णय गलत रूप से रास्ता दर्ज किये जाने के

आदेश दिये है। जिस पर माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय ने न्यायालय हाजा को दिनांक 30.05.2018 को आदेश दिया कि प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। जिस पर प्रार्थीगण रामेश्वर पुत्र सागरमल व सुरेश पुत्र रामेश्वर द्वारा द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर में दिनांक 30.05.2018 के आदेश के विरूद्ध रिमाण्ड करने बाबत् आज्ञा को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा सम्भागीय आयुक्त साहब के द्वारा रिमाण्ड किये जाने के आर्डर को उचित ठहराया। उक्त रिमाण्ड अपीलार्थी द्वारा रेसज्यूडीकेटा प्रार्थना पत्र पेश किया गया इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य नियमित वाद में प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री की जा चुकी है। अतः Secondary proceed iugs जरिये उक्त डिक्री set aside नहीं कराया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में पूर्व मे ही विवादित रास्ते का निर्णय उपखण्ड अधिकारी ने वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल में किया जाकर प्राथमिकी डिक्री अनुपालना में फाईनल डिक्री पारित की जा चुकी है और उनके खिलाफ पेश अपील भी राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज कि जा चुकी है। परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर में उल्लेखित श्रेणी के क्रम संख्या एक के अनुसार अपील अर्थात आदेश पारित किया गया है, जबकि यह श्रेणी (4) में उल्लेखित में आता है और वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल में दिनांक 02.04.2013 में ही विभाजन मय रास्ता निर्णत किया जा चुका है।

विपक्षी absue process करके खेत के मध्य से रास्ता निकाल कर परेशान कर रहे है। इस प्रक्रिया द्वारा पूर्व में किये गये उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को पलट रहे है जो कि रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः प्रार्थना पत्र पवेश कर निवेदन है वाद संख्या 29/2012 में पारित डिक्री के अनुसार आदेश पारित किया जावे। उक्त संभागीय आयुक्त के आदेश प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री पर विचार कर व सिविल न्यायालय द्वारा सुखाधिकार का वाद बाबत् इस भूमि पर रास्ते न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पिलानी द्वारा वाद संख्या 95/2019 द्वारा खारिज कर दिया गया है और रेस्पोंडेंट द्वारा कहा गया कि रास्ते का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निम्न दस्तावेज का न तो अवलोकन किया और ना ही आदेश में उल्लेख किया। प्राथमिक डिक्री/फाईनल डिक्री, सिविल न्यायालय द्वारा खारिज सुखाधिकार वाद के समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध थे। तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के एस०बी० सिविल रिट संख्या 15929/2019 बजरंगलाल बनाम सांवरमल में पारित आदेश दिनाक 02.09.2022 व आदेश दिनांक 19.09.2022 को न मानना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की घोर अवमानना है। अपील अधीन दस्तूर गवाई जारी करने मे पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना है। अपील अधीन आदेश कानूनन व रिकार्ड के विपरीत है, व निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 506/2, रकबा 0.01, हैक्टयर, 514/2, रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नंबर 513/2, रकबा 0.03, हैक्टयर, खसरा नंबर 512/2, रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव में अंकित किया जाने का आदेश को खारिज फरमावे व डिक्री दिनांक 02.04.2013 वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल के संलग्न नक्शे के अनुरूप पारित की गई फाईनल डिक्री के अनुसार राजस्व नक्शे में अमल दरामद के आदेश की पुनः पुष्टि करें जो कि पूर्व में दिया जा चुका है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/7 व 1/8 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड

अधिकारी चिडावा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 75 अधिनियम, 1955 प्रस्तुत की गई है। यह अपील खारिज किये जाने योग्य हैं क्योंकि दिनांक 10.08.2016 को राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार से एक परिपत्र जारी किया गया कि सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप से दर्ज नही किये जाने के कारण से ऐसे रास्तो को राजस्व अभिलेख में धारा 131 एव 132 अधिनियम, 1955 के तहत अंकन किया जाना हैं जिसके परिपेक्ष्य में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा ग्राम बागपुरा, तहसील चिडावा के खसरा नं. 506/2, 514/2, 513/2 व 512/2 में स्थित रास्ते को प्रस्तावानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिनांक 02.11.2016 को तहसीलदार चिडावा को दिये गये जो जन हित को ध्यान में रखते हुए दिये गये थे। परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु माननीय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया था जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी संख्या 1 (फौत) द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रकरण की सुनवाई बाबत प्रस्तुत किया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा मनगढ़त तथ्यों पर आधारित एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी वकील के माध्यम से माननीय उपखण्ड अधिकारी को गुमराह करने के आशय से प्रस्तुत किया जिसका जवाब प्रत्यर्थी संख्या 1 (फौत) द्वारा दिया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। यह कहना योग्य हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (फौत) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के आदेशों के अधीन प्रस्तुत किया गया था जिसमें देरी करने के आशय से अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 20.09.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन करने के पश्चात किया गया है तथा मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात पारित किया गया है जिसमें अभिलेख पर यह तथ्य आया हैं कि कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डरेला तहसील चिडावा के समक्ष विचाराधीन अपीलार्थी के पिता की आपत्ति के प्रकरण में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी जिसके द्वारा मौके की जांच करने के पश्चात मौका रिपोर्ट दिनांक 03.10.2007 में यह पाया गया कि लगभग 40 वर्षों से एक पुराना रास्ता है जो खसरा नं. 512 में से श्री सांवर मल सैनी (अपीलार्थी के पिता) के घर के आगे से लगभग 40 फिट की दूरी से आगे से श्री सुरेश कुमार, रामेश्वर लाल सैनी के घर तक जाता है तथा तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 03.10.2007 को जांच करके मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकन किया गया कि खसरा नं. 514, 513, 512 से होकर रामेश्वर की ढाणी में रास्ता जाता है जो मौके पर चालू है लेकिन खसरा नं. 512 में सांवरमल के मकान बने हुये है, घर के आगे से होकर रामेश्वर की ढाणी से रास्ता है जो मौतबिरानों के बताये अनुसार करीबन 40 वर्षो से चालू है जो वर्तमान में कायम है। इस प्रकार से माननीय अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.09.2022 में उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.10.2007 का अवलोकन करने के पश्चात पारित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता श्री सांवरमल सैनी द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डरेला तहसील चिडावा के समक्ष प्रस्तुत रास्ता बदलने से सम्बन्धित आपत्ति को दिनांक 20.10.2007 को निरस्त किया गया जिसमें मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.10.2007 का भी अवलोकन किया गया जिसमें अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता श्री सांवरमल सैनी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रामेश्वर की ढाणी की तरफ खसरा नं. 514,

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

513 व 512 में स्थित रास्ता 40 वर्ष पूर्व से एक मात्र रास्ता स्थित है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 में इस कारण भी हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिये क्योंकि अपीलार्थी के वकील द्वारा स्वयं बहस के समय निवेदन किया गया कि वह उक्त प्रकरण में अपीलार्थी (अप्रार्थी संख्या 7) की पैरवी नहीं करेगे जबकि अपीलार्थी को माननीय अधीनस्थ अधिकारी के समक्ष बहस करने बाबत कई अवसर प्रदान किये गये। आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2022 दोनों पक्षकारों को नियमानुसार एवं सुचारू रूप से सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात पारित किया गया है तथा उक्त आदेश माननीय न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.05.2018 को ध्यान में रखते हुये पारित किया गया है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी द्वारा यह आक्षेप लिया गया कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया।

अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने बाबत एक तथ्य इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि स्व. रामेश्वर के पुत्र सुरेश कुमार द्वारा वर्ष 2007 में अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता के विरुद्ध एक वाद बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसको माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पिलानी द्वारा दिनांक 04.10.2021 को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया गया। परन्तु वास्तविकता यह हैं कि अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से यह तथ्य छिपाया गया कि प्रथमतः सुरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर लाल द्वारा वाद जो माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पिलानी के समक्ष वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया उसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2018 को सुरेश कुमार के हक में विवाद्यक संख्या 1, 2, 4 व 6 तय किये गये जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया कि खसरा सं. 514, 512 व 513 में जो रास्ता है व आवागमन के लिये खुला हुआ है तथा यह भी माना गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1/1 लगायत 1/8 के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है व यह भी माना कि अपीलार्थी या उसके परिवारजन को उक्त रास्ता बंद करने का अधिकार प्राप्त नही है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक भी कोई अपील माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके फलस्वरुप दिनांक 12.07.2018 को वाद संख्या 53/2007 में पारित निर्णय व जारी डिक्री की पुष्टि हो जाती है।

अपीलार्थी द्वारा यह गलत रूप से अंकित किया गया है कि स्वर्गीय रामेश्वर लाल के पुत्र सुरेश कुमार द्वारा वाद खारिज फरमा दिया गया है क्योंकि मात्र विवाद्यक संख्या 3 जो सुखाधिकार से सम्बन्धित कायम किया गया था वह वादी के विरुद्ध दिनांक 04.10.2021 को तय किया गया है जिसके विरूद्ध भी वादी सुरेश कुमार द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है। उक्त तथ्य को अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से छिपाया गया है। यह कहना योग्य हैं कि पूर्व में दिनांक 12.07.2018 को वाद संख्या 53/2007 में पारित निर्णय व जारी डिक्री से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कि जिसमें भी माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसमें भी खसरा सं. 514, 512 व 513 में स्थित रास्ते को एकमात्र आवागमन का रास्ता बताया गया हैं। उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1/1 लगायत 1/8 को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है क्योंकि पूर्व में खसरा नं. 512, 513 व 514 के किये गये मौका निरीक्षण में यह पाया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1/1 लगायत 1/8 द्वारा उपयोग में लिया जा रहा रास्ता 40 वर्षों पूर्व से स्थित है व उक्त रास्ता एक मात्र रास्ता है जो प्रत्यर्थी संख्या 1/1 लगायत 1/8 के निवास स्थान को जोडता है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 24 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार चिड़ावा द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट, जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में ग्राम बागपुरा, पटवार मण्डल मण्ड्रेला, भू0अ0नि0 क्षेत्र मण्ड्रेला, तहसील चिडावा के भूमि खसरा नम्बर 506, 512, 513, 514 की भूमि में से खसरा संख्या 506/2, रकबा 0.01 है0, 506/1 रकबा 0.13 है0, 514/2 रकबा 0.07 है0, 514/1 रकबा 3.81 है0, 514/3 रकबा 0.90 है0, 513/2 रकबा 0.03 है0, 513/1 रकबा 0.05 है0, 513/3 रकबा 0.26 है0, 512/2 रकबा 0.05 है0, 512/1 रकबा 0.88 है0, 512/3 रकबा 0.58 है0 में चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 में दिनांकित 30.09.2016 को प्रचलित रास्ता हेतु प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर उपखण्ड अधिकारी चिडावा को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा राजस्थान सरकार के उक्त आदेशों की पालना में ग्राम बागपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 है0, ख.नं. 512 रकबा 1.51 है0, ख.नं. 513 रकबा 0.34 है0, ख.नं. 514 रकबा 4.78 है0 में तहसीलदार चिडावा से प्राप्त प्रस्तावानुसार संलग्न नजरी नक्शे एवं प्रपत्र में वर्णित खसरा व रकबा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है, चालू रास्ता जो नक्शे में दर्शाया गया है, उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 506/2 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 514/2 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 513/2 रकबा 0.03 है0 व खसरा नम्बर 512/2 रकबा 0.05 है0 रकबे को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में अंकित किया गया है। उक्त प्रस्तावानुसार रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 से व्यथित होकर हाल अपीलान्ट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां अपील संख्या 204/17 बउनवानी अजय व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा पेश की गयी, जिस पर न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.05.2018 द्वारा हाल अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2016 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चिडावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/8 के पिता रामेश्वर ने उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् सुनवाई किये जाने मुकदमा नम्बर 42/2016 बउनवानी सरकार विलास वगै0 का पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 7

लगायत 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न पत्रावली उनवानी सरकार बनाम विलाम वगै० मुकदमा नं0 42/2016 के निर्णय दिनांक 11.02.2016 में संशोधन करते हुए दिनांक 11.02.2016 के स्थान पर दिनांक 02.11.2016 करने एवं तहसीलदार चिडावा को राजस्व ग्राम बागपुरा पटवार मण्डल मण्ड्रेला में स्थित भूमि खसरा नं0 506/2, रकबा 0.01 हैक्टयेर, 514/2, रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513/2, रकबा 0.03 हैक्टयेर, खसरा नं. 512/2, रकबा 0.05 हैक्टयेर गैर मुमकिन रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल–दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2022 पारित किये गये। न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 30.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिडावा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 द्वारा मात्र पूर्व निर्णय दिनांक 11.02.2016 की तिथि में त्रुटि का ही संशोधन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 पारित नहीं किया गया।

हमारा विनम्र मत है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में ही विवादित रास्ते का उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल में प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2012 में यह निर्णय किया गया था कि वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार चिडावा को 500/– कोस्ट पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि वह मौके पर जाकर विवादित भूमि ख.नं. 497, 499, 505, 506, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 535, 536, 537 वाके मौजा बागपुरा का पक्षकारान की मौजूदगी में मौका व रिकार्ड के मुताबिक भौतिक विभाजन का मिलान करते समय रास्ते का प्रावधान रखे जाने, विभाजन प्रस्ताव तैयार इस न्यायालय में पेश करें। विभाजन प्रस्ताव में रास्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में रास्ता ख.नं. 511 व 512 की सीमा के सहारे–सहारे डोटेड लाईन से मार्क E F G कायम किया जाने हेतु तहसीलदार को दावा की प्रति व नजरी नक्शा की प्रति भिजवाने के आदेश पारित किये गये। उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में अन्तिम डिक्री दिनांक 02.04.2013 को पारित की गयी जिसमें वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रखे जाने के आदेश पारित किये गये। उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक 02.04.2013 से व्यथित होकर सरला आदि ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहॉ अपील संख्या 43/2023 उनवानी सरला बनाम सांवर प्रस्तुत की। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने निर्णय दिनांक 30.05.2016 के द्वारा अपील पोषणीय नहीं होने पर अपील लौटाई जाने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर सरला ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टीए/4404/2016/झुन्झुनू उनवानी सरला बनाम सांवरमल प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने निर्णय दिनांक 20.08.2019 द्वारा निगरानी खारिज किये जाने के आदेश पारित किये। बजरंग पुत्र स्व. सागर मल व अन्य ने उक्त सभी निर्णयों से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15929/2019 उनवानी बजरंग व अन्य बनाम सांवरमल व अन्य पेश की। जिस पर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बैंच ने निर्णय दिनांक 19.02.2022 द्वारा रिट याचिका खारिज किये जाने के आदेश पारित किये।

जिससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने वाद संख्या 29/2012 सरला बनाम सांवरमल में प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2012 में यह निर्णय किया गया था कि विभाजन प्रस्ताव में रास्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में रास्ता ख.नं. 511 व 512 की सीमा के सहारे–सहारे डोटेड लाईन से मार्क E F G कायम किया जाने हेतु तहसीलदार को दावा की प्रति व नजरी नक्शा की प्रति भिजवायी जावे। उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में अन्तिम डिक्री दिनांक 02.04.2013 को पारित की गयी है। जिसमें वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रखे जाने के आदेश पारित किये गये। उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अन्तिम डिक्री दिनांक 02.04.2013 आज तक यथावत है जिसमें उक्त विवादित भूमि में सामलाती रास्ता भी यथावत है। जिसे आज तक निरस्त नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा को तहसीलदार चिडावा द्वारा प्रेषित रास्ता प्रस्ताव के संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत मण्ड्रेला पंचायत समिति चिडावा जिला झुन्झुनूं की मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया गया है। तहसीलदार चिडावा द्वारा प्रस्ताव के सलंग्न कोई मौका जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके की रास्ता कहॉ से कहॉ को जाता है। तहसीलदार द्वारा यह भी जॉच नही की गई की उक्त रास्ता डोटेड रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अथवा नही स्पष्ट नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अन्तिम डिक्री दिनांक 02.04.2013 में जब पूर्व से ही उक्त रास्ता विद्यमान है तो नया रास्ता कायम किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन किये बिना एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना किये बिना तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 02.04.2013 का भी अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2022 पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 निरस्त किया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 निरस्त किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर